



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220678
CG-DL-E-24072020-220678

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2145]
No. 2145]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/ श्रावण 2, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SRAVANA 2, 1942

iVkfye vkj çkÑfrd xil e=ky;
'kf) & i=

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2020

dk- vk- 2430%v%.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 127, दिनांक 11.01.2018 में भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के का. आ. संख्या 148 (अ) दिनांक 10.01.2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित संख्याओं और शब्दों के स्थान पर

प्राधिकारी का नाम और पता
(1)

अधिकारिता का क्षेत्र
(2)

श्री चौ. तेजो भास्कर राव, तहसीलदार (सेवानिवृत्त)
मल्लावरम-भोपाल-भीलवाडा-विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना
जी.एस.पी.एल. इंडिया ट्रांसको लिमिटेड (जी.आई.टी.ई.एल.),
डोर नं. 82-18-11, खान ले-आऊट,
गेल कार्यालय के सामने, निकट राजामुन्द्री स्पोर्ट्स क्लब,
ए.वी. अप्पाराव रोड, राजामुन्द्री-533103
जिला : पूर्व गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश)

आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए

निम्नलिखित संख्याओं और शब्दों को रखे जाएँ,

प्राधिकारी का नाम और पता (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
---------------------------------	-----------------------------

श्री चौ. तेजो भास्कर राव, तहसीलदार (सेवानिवृत्त)
सक्षम प्राधिकारी
मल्लावरम-भोपाल-भीलवाडा-विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना
जी.एस.पी.एल. इंडिया ट्रांसको लिमिटेड (जी.आई.टी.ई.एल.),
डिस्पैच टर्मिनल, सर्वे नं.: 164/1-2, 165/1-7, 168/2-3,
गाँव — कुंचनपल्ली, मंडल — ताडेपल्लीगुडेम,
जिला — पश्चिम गोदावरी,
आन्ध्र प्रदेश — 534101

आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/39/2011-जीपी-II (खण्ड-II)]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd July, 2020

S.O. 2430(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O. number 148(E) dated. 10.01.2018 published in part II, section 3, sub-section (ii) in the Extraordinary Gazette of India No. 127 dated 11.01.2018.

In the said notification, for the following numbers and words.

Name and address of the Authority (1)	Area of Jurisdiction (2)
Shri Ch. Thejo Bhaskar Rao, Tehsildar (Retired) Mallavaram-Bhopal-Bhilwara-Vijaipur Natural Gas Pipeline Project, GSPL India Transco Limited (GITL), Door No. 82-18-11, Khan Layout, Opp. GAIL Office, Near Rajahmundry Sports Club, A.V. Apparao Road, Rajahmundry-533103 District: East Godavari (Andhra Pradesh)	For the State of Andhra Pradesh

the following numbers and words shall be substituted.

Name and address of the Authority (1)	Area of Jurisdiction (2)
Shri Ch. Thejo Bhaskar Rao, Tehsildar (Retired) Competent Authority, Mallavaram-Bhopal-Bhilwara-Vijaipur Natural Gas Pipeline Project, GSPL India Transco Limited (GITL), Dispatch Terminal, Survey No. 164/1-2, 165/1-7, 168/2-3, Village — Kunchanapalli, Mandal — Tadepalligudem, District — West Godavari, Andhra Pradesh - 534101.	For the State of Andhra Pradesh

This notification shall be applicable from the date of issue.

[F. No. L-14014/39/2011-GP-II (Vol.-II)]

RAJ KISHORE, Under Secy.